पुनः अनुचित जोर देकर एक आन्दोलन आरम्भ करने की योजना बना रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इस विवाद को कब तक हल करने का है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

(ख) जैसा कि तारांकित प्रश्न संख्या 931 के उत्तर में 5 जुलाई, 1967 को इस सदन में बताया गया था, महाराष्ट्र-मैसूर-केरल सीमा विवाद सम्बन्धी आयोग के अगस्त, 1967 के अन्त तक प्रतिवेदन दे देने की आशा है । प्रतिवेदन के प्राप्त होने पर सरकार को सिफारिशों पर विचार करना होगा और वर्तमान स्थिति पर यह बताना संभव नहीं है कि इस विषय में निर्णय लिया जा कर कब तक इस विवाद को अन्तिम रूप से हल कर लिया जायेगा ।

छात्राओं को सहायता

6784. **श्री भोगेन्द्र झा :**
श्री चन्द्र शेखर सिंह :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के हेतु क्या सरकार का विचार मैट्रिक स्तर तक सभी छात्राओं को अखिल भारतीय आधार पर निःशुल्क शिक्षा देने तथा ऐसी छात्राओं को, जिनके माता-पिता की आय 300.00 रुपये मासिक से कम हो, छात्र-वृत्ति देने का नियम बनाने का है ?

शिक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : जी नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । मामला पूर्णतः राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है । कुछ राज्यों में लड़कियों के लिए स्कूल छोड़ने के स्तर तक शिक्षा पहले ही निःशुल्क है ।

सरकारी नौकरी के लिये पुलिस द्वारा अभिपुष्टि (वेरिफिकेशन) किये जाने को समाप्त करना

6785. **श्री भोगेन्द्र झा :**
श्री चन्द्र शेखर सिंह :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी नौकरी के लिये पुलिस द्वारा अभिपुष्टि की प्रणाली को समाप्त करने का है ;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी नहीं । श्रीमान ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) इस बात का सुनिश्चय करने के लिये कि सरकारी नौकरी में प्रवेश पाने वाले व्यक्ति अच्छे चरित्र के और निष्ठावान हैं, सरकार के अधीन प्रत्येक नियुक्ति अधिकारी के लिए यह आवश्यक है कि वह उम्मीदवार की शिनाख्त और इस बात के बारे में अपना सन्तोष कर ले कि उम्मीदवार हर प्रकार से सरकारी सेवा में नियुक्ति के योग्य है । ऐसे व्यक्तियों को जो नैतिक भ्रष्टाचार से सम्बन्धित दण्डनीय अपराधों में दण्ड पा चुके हों, जिन्होंने लोक सेवा आयोग अथवा विश्वविद्यालयों द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं में कदाचार किया हो और उनके द्वारा नियुक्ति के लिये विचार किये जाने के अयोग्य घोषित किये गये हों, जिनके राज्य के प्रति निष्ठाहीन होने की सम्भावना हो और ऐसे ही अन्य अवांछनीय चरित्रवाले व्यक्तियों को चरित्र और पूर्ववृत्त की पड़ताल की इस प्रक्रिया में छांट दिया जाता है ।